कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, देवरिया

प्रेस विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 11/2021/388 /56-1/2020-2 /1(22)10 टी.सी. दिनांक 29.01.2021 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार जनपद देवरिया में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में से रिक्त आंगनवाडी कार्यकत्री/सहायिका /मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पदों पर आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं, परियोजनावार विवरण निम्नवत है -

परियोजना का नाम	आंगनबाड़ी कार्यकत्री				आंगनबाड़ी सहायिका					मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री					Grand Total
	अनु० जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	TOTAL	अनु० जनजाति	अनु० जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	TOTAL	अनु० जनजाति	अनु० जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	TOTAL	
बैतालपुर	4	9	13	**26**	--	3	8	11	**22**	--	--	--	1	1	**49**
बनकटा	2	--	3	**5**	--	--	1	4	**5**	--	1	--	--	1	**11**
बरहज	4	7	18	**29**	--	14	14	24	**52**	--	--	--	--	--	**81**
भागलपुर	--	1	3	**4**	--	--	2	2	**4**	--	1	1	--	2	**10**
भलुअनी	4	--	7	**11**	--	2	2	8	**12**	--	2	--	--	2	**25**
भटनी	1	3	1	**5**	--	1	3	7	**11**	--	--	1	1	2	**18**
भाटपाररानी	2	4	3	**9**	--	5	1	7	**13**	--	1	--	--	1	**23**
देसही	--	--	4	**4**	--	4	1	3	**8**	--	--	--	1	1	**13**
गौरी बाजार	1	5	8	**14**	--	6	5	9	**20**	--	1	--	--	1	**35**
लार	2	4	3	**9**	--	1	6	7	**14**	--	--	--	--	--	**23**
पथरदेवा	1	1	2	**4**	--	1	3	5	**9**	--	--	--	--	--	**13**
रामपुर	2	--	2	**4**	--	6	2	5	**13**	--	--	--	--	--	**17**
रूद्रपुर	5	12	17	**34**	--	6	18	33	**57**	--	1	--	1	2	**93**
सदर	--	1	3	**4**	--	2	3	10	**15**	1	--	--	--	1	**20**
सलेमपुर	7	9	18	**34**	--	15	26	28	**69**	--	--	--	1	1	**104**
शहर	1	4	5	**10**	1	10	6	8	**25**	--	--	--	--	--	**35**
तरकुलवा	2	5	4	**11**	--	5	4	4	**13**	--	--	1	1	2	**26**
कुल योग	**38**	**65**	**114**	**217**	**1**	**81**	**105**	**175**	**362**	**1**	**7**	**3**	**6**	**17**	**596**

1 - उपरोक्त पदों का ग्रामवार विवरण, आरक्षण तथा अर्हता विभागीय वेबसाईट **http://balvikasup.gov.in** पर अपलोड कर दिया गया है एवं मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम कार्यालय/समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के सूचनापट्ट पर भी चस्पा कर दिया गया है।

2 - **आवेदन का माध्यम एवं अन्तिम तिथि** - रिक्त केन्द्रों के सापेक्ष केवल महिला अभ्यर्थियों से आवेदन विभागीय वेबसाईट http://balvikasup.gov.in पर आन लाईन माध्यम से ही प्राप्त किये जायेगें, अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पर विचार नही किया जायेगा। **आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि दिनांक 18 अगस्त, 2021 से दिनांक 08 सितम्बर, 2021 तक निर्धारित की गयी है।**

3- **शैक्षिक योग्यता** - आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व मिनी केन्द्र की कार्यकत्रियों हेतु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम हाईस्कूल उत्तीर्ण तथा सहायिका हेतु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा पांच उत्तीर्ण होगी।

4- **आयु सीमा** -

(I) आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एंव सहायिकाओं के पद के लिये न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। आंगनबाड़ी सहायिका से आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पद पर चयन हेतु अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

(II) आयु के सम्बन्ध में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र की कार्यकत्रियों के लिये हाईस्कूल प्रमाण-पत्र एवं सहायिकाओं के लिये कक्षा-5, जैसी भी स्थिति हो, का स्कूल से जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।

5- **चयन हेतु पात्रता/अर्हता** -

(I) सर्वप्रथम अपेक्षित अर्हता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित केन्द्र की सहायिका/विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता/गरीबी रेखा से नीचे के अभ्यर्थियों को चयन में नियमानुसार वरीयता प्रदान की जायेगी।

(II) गरीबी रेखा से नीचे की आय की सीमा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/- तथा शहरी क्षेत्र में रू0 56460/- प्रति परिवार वार्षिक आय निर्धारित किया गया है।

(III) आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिये यह अनिवार्य होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वह उसी ग्राम सभा एवं शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड की निवासी हो।

(IV) **निवास एवं आय के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी/तहसीलदार के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।**

(V) विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के सम्बन्ध में नियमानुसार सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

6- **अन्य आवश्यक/अनिवार्य दिशा निर्देश** -

(I) आवेदन व चयन की प्रक्रिया पूर्णतया आनलाईन माध्यम से की जानी है। अतः आवेदकों से अपेक्षित है कि आन लाईन फार्म भरते समय विशेष सावधानी बरती जाय एवं प्रत्येक कॉलम यथा प्रमाण पत्रों के क्रमांक, दिनांक, वार्षिक आय, आवेदन की श्रेणी, निवासी-ग्राम, शैक्षिक योग्यता आदि को जैसा प्रमाण पत्र में अंकित हो ठीक वैसे ही शुद्धता से भरा जाय। आवेदन के सबमिट होने पश्चात इसमें इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने का प्रत्यावेदन/प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।

(II) आवेदकों से अपेक्षित है आन लाईन फार्म को प्रिन्ट निकाल कर प्रविष्ट किये गये प्रमाण पत्रों के सापेक्ष प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें।

(III) उपरोक्त पदों का चयन महिला एवं बाल विकास विभाग के शासनादेश संख्या- **11/2021/388 /56-1/2020-2 /1(22)10 टी.सी. दिनांक 29.01.2021** में दिये गये प्राविधानों के अनुसार किया जाना है जो उत्तर प्रदेश सरकार की अधिकारिक वेबसाईट http://shasanadesh.up.gov.in/ पर उपलब्ध है। आवेदक उक्त शासनादेश को भली-भाँति पढ़कर आवेदन एवं चयन प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(IV) **चयन की प्रक्रिया पूर्णतया आनलाईन व आवेदक द्वारा प्रविष्ट किये गये प्रमाण पत्रों के सापेक्ष शासनादेश में दिये प्राविधानों के अनुसार पारदर्शी तरीके से सम्पन्न की जायेगी। आवेदकों को सचेत किया जाता है कि दलालों से सावधान रहें।**

(कृष्ण कान्त राय)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
देवरिया।

पत्रांक- C-618/जि०का०अ०/2021-22 दिनांक- 17.08.2021

Bharti Sarkari